# विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

वीरवार, 29 जुलाई, 2021 / श्रावण 07, 1943 (शक्)

## संख्या–14

# 11.04 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए। राष्ट्रीय गीत (वन्दे मातरम्)

## **1**. 11.05 बजे **निधन संबंधी उल्लेख**:

सदन द्वारा निम्नलिखित के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई तथा दो मिनट का मौन धारण किया गया :-

- 1. डॉ. ए.के. वालिया, पूर्व स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्री तथा दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य
- 2. श्री जरनैल सिंह, पांचवीं एवं छठी दिल्ली विधान सभा के पूर्व सदस्य
- 3. श्री कल्याण सिंह, दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व सदस्य
- 4. श्री अमरनाथ कुमार, दिल्ली महानगर परिष्द के पूर्व सदस्य
- 03 अप्रैल, 2021 को छतीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में मारे गये सुरक्षाकर्मी
- 6. कोरोना वायरस महामारी (कोविड–19) के पीड़ित
- 7. दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान
- 2. 11.16 बजे अध्यक्ष महोदय ने टोक्यो, जापान में चल रहे ओलम्पिक खेलों में सुश्री मीराबाई चानू को 49 किलो भारोत्तोलन वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी।
- 3. 11.16 बजे अध्यक्ष महोदय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि अधिकारी दीर्घा में अधिकारी राष्ट्रीय गीत 'वंदेमातरम्' के दौरान सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े नहीं हुए। उन्होंने निर्देश दिया कि यह मामला आवश्यक कार्यवाही के लिये दिल्ली के मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाये।
- **4**. 11.17 बजे **प्रश्न काल**ः

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पूछा गया। सदन में चर्चा के लिये नोटिस स्वीकार नहीं किये जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आपत्ति प्रकट की। सदन में शोर—शराबा प्रारम्भ हुआ।

- 5. 11.20 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को सदन में दलगत संख्या के अनुपात में सदन के समय की अनुमित दी जायेगी, जैसा कि लोक सभा में किया जाता है।
- 6. 11.21 बजे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने दोबारा चर्चा की मांग की और सदन की कार्यवाही अवरूद्ध कर दी।

(11.21 बजे): श्री अनिल कुमार बाजपेयी, सदस्य ने संशोधित कार्यसूची फाड़ दी और इसे सदन के वैल में फैंक दिया।

अध्यक्ष महोदय ने श्री अनिल कुमार बाजपेयी, सदस्य को सदन से जाने के लिये कहा।

चूंकि सदस्य ने जाने से मना कर दिया, उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर ले जाया गया।

सदन में शोर-शराबा जारी रहा।

(11.35 बजे): अध्यक्ष महोदय ने श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य को उनकी असंसदीय भाषा के कारण दिनांक 29.07.2021 को सदन की शेष बैठक से इंगित किया। चूंकि इंगित सदस्य ने सदन से जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने का निर्देश दिया।

(11.36 बजे): अध्यक्ष महोदय ने श्री जितेंद्र महाजन, माननीय सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि वे लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। चूंकि सदस्य ने जाने से मना कर दिया, उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर ले जाया गया। (11.39 बजे): अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, सदस्य को बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि वे लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। चूंकि सदस्य ने जाने से मना कर दिया, उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर ले जाया गया। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष के अन्य सदस्यों के साथ

## 7. 11.41 बजे **प्रश्न काल**ः

तारांकित प्रश्न संख्या 04, 05, 06 एवं 10 पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 01, 03, 07, 08, 09 तथा 11 से 20 (तारांकित प्रश्न संख्या 02 का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ) और अतारांकित प्रश्न संख्या 01 से 71 के उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये।

# 8. 11.59 बजे विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमित से नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :--

1. श्री राजेश गुप्ता

विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

- 2. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
- 3. श्री रोहित कुमार
- 4. श्रीमती राज कुमारी ढिल्लों
- 5. श्री गिरीश सोनी
- 6. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
- 7. श्री विशेष रवि
- 8. श्री सोम दत्त
- 9. सुश्री भावना गौड़
- 10. श्री जय भगवान
- 11. श्री नरेश यादव

# 9. 12.32 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात**ः

- I. श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय ऊर्जा मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीः
- 1. दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) का वर्ष 2018—19 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी

एवं अंग्रेजी प्रति)

2. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र

रूपरेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2021 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण,

भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(600) / टैरिफ-वित्त / डीईआरसी / 2019-20 /

6705 / 061 दिनांक 13 अप्रैल, 2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

3. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 के संदर्भ

में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग-3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(600) / टैरिफ-वित्त

/ डीईआरसी / 2019—20 / 6705 / 063 दिनांक 13 अप्रैल, 2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

- **II. श्री कैलाष गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की:
- 1. दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के पूर्वावलोकन की प्रतियों सहित वर्ष 2016—17 हेत्

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

2. दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज के पूर्वावलोकन की प्रतियों सहित वर्ष 2017—18 हेत्

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

3. दिल्ली परिवहन निगम भविष्य निधि न्यास का वर्ष 2017—18 हेतु वार्षिक लेखा एवं लेखा

परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

4. परिवहन विभाग की मुख्य चांदनी चौक मार्ग पर लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद और

आसपास के क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र

(असाधारण, भाग—4) में जारी अधिसूचना संख्या फा. सं. 19(17) / सचि० / परिवहन / 2020 /

49052 दिनांक 14 जून, 2021 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

### **10.** 12.33 बजे

# अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :

I. श्री संजीव झा ने 'माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त की नियुक्ति' के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

उन्होंने सदन की अनुमित से निम्नलिखित संकल्प भी प्रस्तुत किया : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 को अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया :

"यह सदन श्री राकेश अस्थाना को एक साल तक के लिए या आगामी आदेशों तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्त करने संबंधी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 27 जुलाई, 2021 पर कड़ी अस्वीकृति प्रकट करता है। गृह मंत्रालय का आदेश प्रकाश सिंह बनाम भारत का संघ मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 मार्च 2019 को दिये गये फैसले का पूरी तरह उल्लंघन है। इस फैसले में यह साफ तौर पर वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी सेवा छह महीने से कम की बची हो, उसे भारत में कहीं भी पुलिस बल के मुखिया के रूप में नियुक्ति देने के लिए विचार नहीं किया जा सकता।

यह सर्वविदित तथ्य है कि श्री अस्थाना को दिनांक 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होना था अर्थात् मुश्किल से दो दिन बाद।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद एजीएमयूटी आईपीएस कैंडर से संबंधित है। गुजरात कैंडर के एक विवादित अधिकारी की यह नियुक्ति, जिन्होंने पूर्व में गंभीर आरोपों से संबंधित अनेक जांचों का सामना किया है, इससे दिल्ली पुलिस केवल विवादों में ही घिरेगी।

इसके अलावा, यह किसी तर्कबद्ध समझ से परे है कि क्यों एक विवादित अधिकारी, जिनको अक्टूबर 2018 में सीबीआई के विशेष निदेशक पद से इस केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया था और जिन्हें हाल ही में सीबीआई निदेशक के पद के योग्य नहीं पाया गया, उन्हें दिल्ली पुलिस पर थोंपा जा रहा है। इस अधिकारी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह उचित आशंका है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आतंक का शासन स्थापित करने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर झूटे मामले चलाने हेतु उनका इस्तेमाल करेगी।

ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को देश की राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस बल का नेतृत्व नहीं करना चाहिए।

यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, गृह मंत्रालय को यह सूचित करने का निर्देश देता है कि श्री राकेश अस्थाना के नियुक्ति आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और दिल्ली के पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए उचित नियमों और विनियमों के अनुसार नई प्रक्रिया शुरू की जाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

- 2. श्री गुलाब सिंह
  - (श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के दो अन्य सदस्यों के साथ, जिन्होंने पहले विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया था, अपने आसन पर वापस आ गये।)
- 3. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
- 4. श्री भूपेंद्र सिंह जून
- 5. श्री सोमनाथ भारती
- 6. श्री रामवीर सिंह बिध्र्ड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

- 11. 01.44 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन भोजनावकाष के लिए एक घंटे तक स्थगित किया।
- 12. 02.44 बजे सदन पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
- **13.** 02.45 बजे **नियम—114 के अंतर्गत प्रस्ताव** :
  - 1. श्री रोहित कुमार, माननीय सदस्य ने श्री दिलीप कुमार पाण्डे, माननीय मुख्य सचेतक के विधानसभा क्षेत्र कार्यालय के आईएसओ 9000 के प्रमाणीकरण हेतु बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री विशेष रवि, माननीय सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
  - 2. श्री विनय मिश्रा, माननीय सदस्य ने श्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली विद्यालय बोर्ड तथा विशेषीकृत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने के लिए बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
  - 3. श्री ऋतु राज गोविंद, माननीय सदस्य ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मल्टीस्पेशियलटी अस्पताल स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- **14**. 02.50 बजे अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :
  - ।।. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी ने 'नगर निगमों द्वारा जल भराव को रोकने तथा नालों के रखरखाव में असफल रहने' के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

- 2.श्री विशेष रवि
- 3.श्री रोहित कुमार
- 4.श्री अजय महावर
- 5.श्री सोमनाथ भारती
- 6.श्री हाजी यूनुस

- 7.श्री अब्दुल रहमान
- 8.श्री अभय वर्मा
- 9.श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
- 10. श्री कुलदीप कुमार
- 11. श्री ऋतु राज गोविंद

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

## **15**. 04.23 बजे नियम—**107 के अंतर्गत प्रस्ताव** :

सुश्री भावना गौड, माननीय सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि : 'यह सदन अनुशंसा करता है कि श्री सुंदर लाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके असाधारण एवं महत्वपूर्ण योगदान के लिए 'भारत रत्न' प्रदान किया जाये।' निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

- 2.श्री प्रवीण देशमुख
- 3.श्री संजीव झा
- 4.श्री शिव चरण गोयल
- 5.श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये तथा एक संशोधन प्रस्तावित किया।

निम्नलिखित संशोधित प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ :

'यह सदन अनुशंसा करता है कि श्री सुंदर लाल बहुगुणा को उनके असाधारण एवं महत्वपूर्ण योगदान के लिए 'भारत रत्न' प्रदान किया जाये।'

- 16. 05.05 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विशेष उल्लेख (नियम—280) के अंतर्गत प्राप्त हुई सूचनाओं की बैलेटिंग सदन स्थगित होने के आधा घंटे के बाद होगी।
- 17. 05.06 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली 29 जुलाई, 2021 राज कुमार सचिव

## <u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### **Bulletin Part-I**

(Brief summary of proceedings) Thursday, 29 July 2021 / 07 Shravan 1943 (Saka)

No. 14 11.04 AM

# Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair National Song (VandeMataram)

### 1. 11.05 AM **Obituary References :**

The House paid homage and observed two minute silence on the death of:

- Dr. A.K. Walia, former Health &Finance Minister and Member of Delhi Legislative Assembly
- 2. Shri Jarnail Singh, former Member of Delhi Legislative Assembly during Fifth and Sixth Legislative Assembly.
- 3. Shri Kalyan Singh, former Member of Metropolitan Council of Delhi
- 4. Shri Amar Nath Kumar, former Member of Metropolitan Council of Delhi
- Security personnel killed in naxalite attack on 03<sup>rd</sup>April, 2021 in Sukma District of Chhattisgarh.
- **6.** Victims of Coronavirus (COVID-19) pandemic.
- 7. Farmers agitating against the farm laws on Delhi's borders.
- 2. 11.16 AM The Chair congratulated Ms. MirabaiChanu for winning Silver Medal in the 49 Kg weightlifting category in the Olympic Games at Tokyo, Japan.
- 3. 11.16 AM The Chair took cognizance of the fact that the officers in the Officers Gallery did not stand up during National Song 'VandeMataram' as a gesture of respect and directed that the matter be brought to the notice of Chief Secretary, Delhi for necessary action.

## 4. 11.17 AM Question Hour:

Starred questions No. 04 was asked.

Members of the BJP objected to their notices being not accepted for discussion in the House. Uproar in the House ensued.

### 5. 11.20 AM Ruling by the Chair:

The Chair gave a ruling that the Members of Opposition will be allowed floor time in proportion to their party strength in the House as was being done in the Lok Sabha,

6. 11.21 AM The Members of Opposition again demanded discussion and stalled the proceedings of the House.

(11.21 AM): Sh. Anil Kumar Bajpai, Member tore up Revised List of Business and threw it in the well of the House.

The Chair asked Shri Anil Kumar Bajpai, Member to leave the House.

As the Member refused to leave, he was escorted out by the Marshalls.

Uproar in the House continued

(11.35 AM): The Chair named Shri Om Prakash Sharma, Member from the remaining part of the sitting of the House on 29/07/2021 on account of his unparliamentary language.

The Member refused to withdraw voluntarily and argued with the Chair.

As the Member refused to leave, he was escorted out by the Marshalls.

(11.36 AM): The Chair asked Shri Jitender Mahajan, Member to leave the House as he continued to cause disturbance.

As the Member refused to leave, he was escorted out by the Marshalls.

(11.39 AM): The Chair asked Shri Vijender Gupta, Member to leave the House as he continued to cause disturbance.

As the Member refused to leave, he was escorted out by the Marshalls.

Sh. Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition alongwithother Members of Opposition walked out in protest.

### 7. 11.41 AM Question Hour continued:

Starred questions No. 04,05, 06 &10 were asked and replied to.

Replies to Starred Questions No. 01, 03, 07, 08, 09 & 11 to 20 (Reply to Starred Question 02 was not received) & Un-Starred Questions No. 01 to 71 were placed on the table.

### 8. 11.59 AM **Special Mention (Rule-280):**

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

- 1. Shri Rajesh Gupta
- 2. Shri AkhileshPatiTripathi
- 3. Shri Rohit Kumar
- 4. Smt. Raj Kumari Dhillon
- 5. Shri Girish Soni
- 6. Smt. PramilaDhirajTokas

- 7. Shri Vishesh Ravi
- 8. Shri SomDutt
- 9. Ms. Bhavna Gaur
- 10. Shri Jai Bhagwan
- 11. Shri Naresh Yadav

### 9. 12.32 PM Papers laid on the Table:

- I. Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Power laid copies of the following on the Table of the House:
  - 1. Annual Report of Delhi Power Company Limited (DPCL) for the Financial Year 2018-19 (Hindi and English Version).
  - Notification No.F.3(600)/Tariff-Fin./DERC/2019-20/6705/061 dated 13/04/2021– regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021.

- Notification No.F.3(600)/Tariff-Fin./DERC/2019-20/6705/063 dated 13/04/2021– regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) (First Amendment) Regulations, 2021.
- **II. Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport** laid copies of the following on the Table of the House:
  - 1. Annual Administrative Report 2016-17 alongwith copies of Preview of working of Delhi Transport Corporation for the year 2016-17 (Hindi and English Version).
  - Annual Administrative Report 2017-18 alongwith copies of Preview of working of Delhi Transport Corporation for the year 2017-18 (Hindi and English Version).
  - Annual Accounts & Audit Report of Delhi Transport Corporation Employee Provident Fund Trust for the year 2017-18 (Hindi and English Version).
  - 4. Notification No.F.19(17)/Sectt./Tpt./2020/49052 dated 14/06/2021 to regulate the vehicular movement on main Chandni Chowk Road from Red Fort to Fatehpuri Mosque and surrounding area. (Hindi and English Version)

### 10. 12.33 PM Short Duration Discussion (Rule-55):

**I. Shri Sanjeev Jha**initiated discussion on 'appointment of Delhi Police Commissioner in violation of directions of Hon'ble Supreme Court'.

He also moved the following Resolution with the leave of the House:

The Legislative Assembly for the National Capital Territory (NCT) of Delhi, in its sitting on 29<sup>th</sup> July 2021, adopted the following resolution:

"This House expresses its strong disapproval over the Ministry of Home Affairs (MHA), Government of India, order dated 27<sup>th</sup> July, 2021 appointing Sh. Rakesh Asthana to the post of Commissioner of Police, Delhi, for a period of one year or till further orders.

This MHA order is in complete violation of the Hon'ble Supreme Court of India judgement dated 13<sup>th</sup> March 2019 in the case titled: Prakash Singh Vs Union of India. The judgement clearly lays down that no individual who has less than six months of service left, can be considered for appointment as head of a police force anywhere in the country.

It is a widely known fact that Sh. Asthana was to retire from service on 31<sup>st</sup> July – meaning barely two days later.

Further, the post of Commissioner of Police, Delhi, belongs to the AGMUT IPS cadre. This appointment of a controversial Gujarat cadre officer, who has faced multiple inquiries on serious charges in the past, will only bring Delhi Police into controversies.

Further, it is beyond any reasonable understanding as to why a controversial officer who was removed by this Central government from the post of Special Director, CBI in October 2018 and was notconsidered fit for the post of CBI Director only very recently, is being imposed on Delhi Police.

Given the past track record of this officer, there is a reasonable apprehension that the Central Government will use him for foisting false cases on political rivals to create a reign of terror in the national capital.

Such a controversial individual should NOT be heading the police force in the country's national capital.

This House directs the Government of NCTof Delhi to convey to the MHA that the appointment order of Sh. Rakesh Asthana be immediately withdrawn and fresh process for the appointment of Commissioner of Police for Delhi be initiated in accordance with proper rules and regulations."

The following Members participated in the discussion:

2. Shri Gulab Singh

(Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition alongwith two members of Opposition, who had earlier walked out in protest, assumed their seats.)

- 3. Shri AkhileshPatiTripathi
- 4. Shri Bhupinder Singh Joon
- 5. Shri Somnath Bharti
- 6. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Home replied to the discussion.

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

- 11. 01.44 PM The Chair adjourned the House for one Hour for Lunch-Break.
- 12. 02.44 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

- 13. 02.45 PM **Motion under Rule-114**:
  - Shri Rohit Kumar, Hon'ble Member moved a congratulatory motion for the ISO 9000 certification of the MLA Constituency Office of Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip. Shri Vishesh Ravi, Hon'ble Member also expressed his views.
  - Shri Vinay Mishra, Hon'ble Member moved a congratulatory motion for setting up of the Delhi School Board and Schools of Specialized Excellence by Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister.
  - Shri RiturajGovind, Hon'ble Member moved a congratulatory message on the initiation of tender process for setting up of Multispecialty Hospital in the Kirari Assembly Constituency.

### 14. 02.50 PM Short Duration Discussion (Rule-55):

**II. Shri AkhileshPatiTripathi**initiated discussion on 'failure of Municipal Corporations in preventing water logging and maintenance of drains'.

The following Members participated in the discussion:

- 2. Shri Vishesh Ravi
- 3. Shri Rohit Kumar
- 4. Shri Ajay Mahawar
- 5. Shri Somnath Bharti
- 6. Shri HaziYunus
- 7. Shri Abdul Rehman
- 8. Shri AbhayVerma
- 9. Smt. Raj Kumari Dhillon
- 10. Shri Kuldeep Kumar
- 11. Shri RiturajGovind

Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Urban Development replied to the discussion.

#### 15. 04.23 PM **Motion under Rule-107**:

Ms. Bhavna Gaur, Hon'ble Member moved the following Motion:

"This House recommends that Sh. Sunder Lal Bahuguna be conferred with 'Bharat Ratna" for his enormous and significant contribution in the field of environment'.

The following Members participated in the discussion:

- 2. Shri Praveen Deshmukh
- 3. Shri Sanjeev Jha
- 4. Shri Shiv CharanGoel
- 5. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Leader of Opposition

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister expressed his views and proposed an amendment.

The following amended Motion was put to vote and adopted by voice-vote unanimously: "This House recommends that Sh. Sunder Lal Bahuguna be conferred with 'Bharat

Ratna' for his enormous and significant contribution"

- 16. 05.05 PM The Chair informed the House about the Balloting of the Notices received under Special Mention (Rule-280) shall take place half an hour after the adjournment of the House.
- 17. 05:06 PM The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Friday, 30 July 2021.

Delhi 29July, 2021 Raj Kumar Secretary